न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 54/2020
3. उनवान : सरकार जरिये अशोक टांक प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री सीताराम मीणा पुत्र श्री माधोलाल मीणा निवासी चारभुजा मन्दिर, फागी हाल निवासी 92/263, पटेल मार्ग मानसरोवर, डिलीवरी मैन सुषमा गैस सर्विस मानसरोवर, जयपुर।
2. सुषमा गैस सर्विस मानसरोवर, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 12-07-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री शेलेन्द्र खण्डेलवाल अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जयपुर श्री अशोक टांक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया था। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, नक्शा मौका, फर्द जब्ती, सुपुर्दगीनामा आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी ने जांच दल के साथ दिनांक 17.08.2005 को बोगस ग्राहक(लक्ष्मण दास) भेजकर, सिलेण्डरों को निर्धारित दर से अधिक दर से विक्रय किये जाने के साक्ष्य के साथ अप्रार्थी संख्या 1 को पकडा एवं जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 14 खाली सिलेण्डर, 1 सिलेण्डर मय 14.2 किग्रा. गैस एवं तीन पहिये की रिक्शा ट्रोली को जब्त किया। मौके पर अप्रार्थी ने पूछताछ में 400 रुपये में सिलेण्डर लक्ष्मण दास को बिक्री करना बताया तथा अप्रार्थी की तलाशी लिये जाने पर 4400 रुपये बरामद हुये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया था।

पूर्व में प्रकरण में दिनांक 08.05.2006 को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा निर्णय पारित कर उक्त माल को राजसात करने के आदेश दिये गये थे। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा प्रकरण की अपील माननीय न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश विशेष न्यायालय (सती निवारण) राज0 एवं अपर सैशन न्यायाधीश, जयपुर में की गई, जिसमें दिनांक 29.02.2008 को निर्णय पारित कर आदेश दिया कि "मैसर्स सुषमा गैस सर्विस मानसरोवर पुलिस थाना शिप्रा पथ एवं सीताराम मीणा द्वारा प्रस्तुत नियमित दाण्डिक अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2006 अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रति–प्रेषित की गई कि प्रकरण में आवश्यक जांच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए उन्हें सुनकर विधिसम्मत आदेश पारित किये जावें"। माननीय न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

दर्ज कर पुनः सुनवाई हेतु रखी गई। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शेलेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया। बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी/अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर 27.08.2008 को जवाब बन्द किया गया। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने पूर्व में पेश जवाब प्रार्थना पत्र को ही अन्तिम जवाब मानते हुए अंकित तथ्यों को बहस मानने का कथन किया तथा आदेशिका पर लिखित में सहमति व्यक्त की।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों, अप्रार्थी के जवाब तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 17.08.2005 को जांच के दौरान 14 खाली गैस सिलेण्डर रिक्शा ट्रोली में डिलीवरी मैन श्री सीताराम मीणा से एवं एक भरा हुआ गैस सिलेण्डर (LPG) श्री लक्ष्मणदास के पास से जब्त किया गया। अप्रार्थी सीताराम के पास से जिला रसद अधिकारी के हस्ताक्षरित 100/– रुपये के तीन एवं 50/– रुपये के दो नोट भी मौजूद मिले हैं, जिससे स्पष्ट जाहिर है उक्त घरेलू गैस (LPG) की सीताराम मीणा द्वारा कालाबाजारी की जा रही थी। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब में डीलीवरी मैन सीताराम मीणा को गैस एजेन्सी से हटाना बताया है परन्तु अपराध कारित किये जाने के पश्चात अप्रार्थी को हटाने से कोई दोष मुक्त नहीं हो जाता। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थीगण की बदनियती जाहिर होती है तथा अवैध मुनाफे की आपराधिक मनःस्थिति भी सिद्ध होती है। साथ ही माननीय सैशन न्यायालय के आदेशानुसार अप्रार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का भरपूर अवसर दिया गया। इसके उपरान्त भी उनके द्वारा उक्त (LPG) गैस सिलेण्डरों के वैध उपयोग–उपभोग एवं बिक्री के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये तथा ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में पूर्व में पारित निर्णय को उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर पूर्व निर्णयानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें कुल 15 घरेलू सिलेण्डर (14 खाली व 1 भरा हुआ) शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।